

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२७१३२

संख्या-ई.स./जीएस.
दिनांक 31/8/2008

ANNE

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

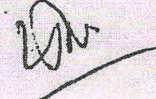
कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय,
इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी परिसर,
सीतापुर रोड,
लखनऊ ।

महोदय,

आपके पत्र संख्या- उ०प्र०प्रा०वि०/कुस०का/२००४/२८३२८-२६ दिनांक २६.६.२००४ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम २००० की धारा २३(२) के अधीन लायड इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोयडा को बी.फार्मा. पाठ्यक्रम में ६० सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००४ से सत्र २००४-०५ हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. संस्था पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण मण्डल द्वारा इंगित समस्त शर्तों एवं कमियों को अनिवार्यता पूरा कर लेगी
२. संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करती रहेगी तथा संस्थान संचालन के लिए विश्वविद्यालय की सम्बद्धता के साथ-साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन भी संस्था/पाठ्यक्रम संचालन हेतु वर्षानुवर्ष प्राप्त होता रहे। ए.आई. सी.टी.ई.का संस्था पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनुमोदन प्राप्त न होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
३. संस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या -२०७३/२००३-१६-१-७८/६१ टी.सी.-१ दिनांक २०.६.०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
४. संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित सम्बद्धता से सम्बन्धित परिनियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेगी।

भवदीय



(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
२. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।
३. निदेशक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इन्दिरा गांधी खेल परिसर, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नयी दिल्ली
४. निदेशक लायड इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोयडा

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२७१३२

संख्या-ई.स./ 1731 /जीएस.
दिनांक 10 अगस्त २००५

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

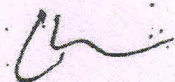
कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय,
इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी परिसर,
सीतापुर रोड,
लखनऊ ।

महोदय,

आपके पत्र संख्या- उ०प्र०प्रा०वि०/कुस०का/२००५/७३६७-६८ दिनांक २४.६.२००५ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम २००० की धारा २३(२) के अधीन लायड इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोयडा को बी.फार्मा पाठ्यक्रम में साठ सीटों की प्रवेश क्षमता हेतु स्तवित पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००५ से सत्र २००५-०६ हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. संस्था दिनांक १.७.२००५ से आगामी तीन माह की अवधि के अन्दर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं निरीक्षण मण्डल/शासन द्वारा दर्शित कमियों को अनिवार्यतः पूर्ण कर लेगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
२. संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करती रहेगी तथा संस्थान संचालन के लिए विश्वविद्यालय की सम्बद्धता के साथ-साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन भी संस्था/पाठ्यक्रम संचालन हेतु वर्षानुवर्ष प्राप्त होता रहे। ए.आई.सी.टी.ई.का संस्था पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनुमोदन प्राप्त न होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
३. संस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या -२०७३/२००३-१६-१-७८/६१ टी.सी.-१ दिनांक २०.६.०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
४. संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित सम्बद्धता से सम्बन्धित परिन्त्रियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेगी।

भवदीय



(हरी चरन प्रकाश)

कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
२. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।
३. निदेशक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इन्दिरा गांधी खेल परिसर, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नयी दिल्ली
४. निदेशक लायड इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोयडा

(हरी चरन प्रकाश)

कुलाधिपति के विशेष सचिव

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२७१३२

संख्या-ई.स./१०७७/जीएस.
दिनांक १०/११/२००६

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय,
इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी परिसर,
सीतापुर रोड,
लखनऊ ।

महोदय,

आपके पत्र संख्या- उ०प्र०प्रा०वि०/कुस०का/२००६/५६११-१२ दिनांक १७.६.२००६ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम २००० की धारा २३(२) के अधीन लायड इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोयडा को बी.फार्मा पाठ्यक्रम में ६० सीटों की प्रवेश क्षमता हेतु स्वचित पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १७.२००६ से सत्र २००६-०७ हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं निरीक्षण मण्डल/शासन द्वारा दर्शित कमियों को अनिवार्यतः आगामी दो माह में पूर्ण कर लेगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बंधी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
२. संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करती रहेगी तथा संस्थान संचालन के लिए विश्वविद्यालय की सम्बद्धता के साथ-साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन भी संस्था/पाठ्यक्रम संचालन हेतु वर्षानुवर्ष प्राप्त होता रहे। ए.आई.सी.टी.ई.का संस्था पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनुमोदन प्राप्त न होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
३. संस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या -२०७३/२००३-१६-१-७८/६१ टी.सी.-१ दिनांक २०.६.०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
४. संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित सम्बद्धता से सम्बन्धित परिनियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेगी।

भवदीय

(हरी चरन प्रकाश)

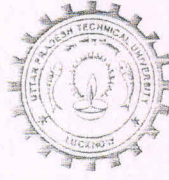
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
२. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।
३. निदेशक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इन्दिरा गांधी खेल परिसर, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नयी दिल्ली
४. निदेशक लायड इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोयडा

(हरी चरन प्रकाश)

कुलाधिपति के विशेष सचिव



सेवा में,

निदेशक,

लॉयड इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी,
ग्रेटर नोएडा।

वषय : संस्था को शैक्षिक सत्र 2007-08 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या ए-13/सोलह-1-2007-13(7)/2007, दिनांक 02 अगस्त 2007 से शासन द्वारा उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन पूर्व मंजूरी के अनुसार कार्य परिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 19 नवम्बर 2007 में लॉयड इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा को बी०फार्म० पाठ्यक्रम 60 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2007-08 हेतु दिनांक 1-7-2007 से सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की गई है:-

1. संस्था द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शित कमियों को अनिवार्यतः आगामी एक माह में पूर्ण कर लिया जायेगा।
2. संस्था में कार्यरत शिक्षकों की विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित सूची दो माह के अंदर उपलब्ध कराई जायेगी और संस्था अभातशिप के मानकों के सापेक्ष संस्था के शैक्षिक स्टाफ/अवस्थापना सुविधाओं को सुनिश्चित करेगी।
3. संस्था द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन/उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रवेशित छात्रों से लेगी।
4. संस्था में पायी गयी कमियों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात् 2008-09 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी और संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।
5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं / विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को शासन द्वारा प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
6. संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा और उक्त आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई कमियाँ नहीं हैं, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियाँ पायी जाने/विचलन की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय


(यू०एस० तोमर)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, कुलाधिपति / श्री राज्यपाल महोदय, राजभवन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. सम्बन्धित संस्था की पत्रावली।

(यू०एस० तोमर)
कुलसचिव



सेवा में,

निदेशक,

लॉयड इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी,
ग्रेटर नोएडा।

विषय : संस्था को शैक्षिक सत्र 2008-09 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या 2630/सौलह-1-2008-13(47)/2007TC, दिनांक 11 जुलाई 2008 के द्वारा उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन शासन की पूर्वानुमति से कार्य परिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 03 दिसम्बर 2008 में लॉयड इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा को वी०फ़ार्म० पाठ्यक्रम 60 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्वचित पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2008-09 हेतु दिनांक 1-7-2008 से सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की गई है:-

1. संस्था द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शित कमियों को अनिवार्यतः आगामी एक माह में पूर्ण कर लिया जायेगा।
2. संस्था व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन/उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रवेशित छात्रों से लेगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
3. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं/विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
4. संस्था से एक माह के अन्दर, विलम्बतम 30 जनवरी, 2009 तक संस्था में कार्यरत शिक्षकों की अनुमोदित सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उ०प्र० शासन को प्रस्तुत किया जा सके।
5. संस्था द्वारा उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को दिनांक 20 जनवरी, 2009 तक यह सूचना उपलब्ध करायी जायेगी कि उनके द्वारा छात्रों से क्या फीस ली गयी है, अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
6. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
7. संस्था में पायी गयी कमियों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात् 2009-10 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।
8. संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा और उक्त आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई कमियाँ नहीं हैं, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियाँ पायी जाने/विचलन की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

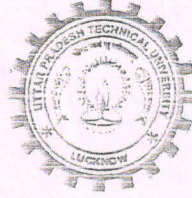
(यू०एस०तोमर)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, कुलाधिपति / श्री राज्यपाल महोदय, राजभवन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. सम्बन्धित संस्था की पत्रावली।

(यू०एस०तोमर)
कुलसचिव



पत्रांक: 30प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/2010/56520-24
दिनांक 5-2-2010

सेवा में,
निदेशक,
लॉयड इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलाजी,
ग्रेटर नोएडा

विषय : संस्था को शैक्षिक सत्र 2009-10 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या 1945/सोलह-1-2009-13(5)/2009 दिनांक 24 जुलाई 2009 के द्वारा उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन शासन की पूर्वानुमति से कार्य परिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 28 जुलाई 2009 में लॉयड इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलाजी, ग्रेटर नोएडा को .बी.फार्म पाठ्यक्रम 60 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2009-10 हेतु दिनांक 1-7-2009 से सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की गई है:-

1. संस्था व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन/उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगी तथा शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बंधित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना समय से उपलब्ध करायेगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने का कार्यवाही की जायेगी।
2. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं/विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
3. संस्था से एक माह के अन्दर, संस्था में कार्यरत शिक्षकों की अनुमोदित सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उ०प्र० शासन को प्रस्तुत किया जा सके।
4. संस्था द्वारा छात्रों से ली गयी फीस की सूचना एक पक्ष के अन्दर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

6. संस्था में पायी गयी कमियों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात् 2010-11 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी- और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।
7. संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा और उक्त आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई कमियाँ नहीं हैं, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. बी.फार्म पाठ्यक्रम संचालित संस्थाएं नियमतः फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेगी।
9. जिन संस्थाओं की अभातशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बंध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बंधित संस्था(ओं) की सम्बद्धता तद कार्यवाही के अधीन होगी।
10. प्रश्नगत संस्था द्वारा प्रवेश में उ.प्र. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 का अनुपालन किया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियाँ पायी जाने/विचलन की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय


(यूएसओएमर)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, कुलाधिपति / श्री राज्यपाल महोदय, राजभवन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. सम्बन्धित संस्था की पत्रावली।


(यूएसओएमर)
कुलसचिव



पत्र संख्या:-एम0टी0यू0/कुलसचिव कार्यालय/2011/777

दिनांक:-18.10.2011

सेवा में,

निदेशक,

लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी (172)

ग्रेटर नोएडा ।

विषय :- संस्था को शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या: 2723/सोलह-1-2010-13(13)/2010 दिनांक 19.07.2011 के द्वारा, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) एवं उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2010 एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पत्र संख्या Northern Region/1-467514701/2011/EOA दिनांक 01.09.2011 एवं एम0फार्मा0 (क्वालिटी ऐशोरेन्स) शासन के पत्र संख्या 8425/सोलह-1-2011-13(13)2010टीसी0 एवं माहामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर की कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी के अर्न्तगत निम्न पाठ्यक्रमों को-

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 1. बी0फार्मा | 120 सीट |
| 2. एम0फार्मा0 (फार्मास्यूटिक्स) | 18 सीट |
| 3. एम0फार्मा0 (क्वालिटी ऐशोरेन्स) | 18 सीट |

उनके सम्मुख अंकित प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की गई है :-

1. संस्था व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय/महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विषयाधिकार का कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

[Signature]

[Signature]

2. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं, विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को क्रकप्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
3. संस्था से एक माह के अन्दर, संस्था में कार्यरत शिक्षकों की सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत किया जा सके।
4. संस्था द्वारा महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर को अपनी वेबसाइट पर यह सूचना उपलब्ध करायी जायेगी कि उनके द्वारा छात्रों से क्या फीस ली गयी है, अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
6. संस्था में पायी गयी कमियों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात् 2012-13 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।
7. बी0फार्मा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं नियमतः फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया एवं बी0आर्क0 पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं नियमानुसार आर्कीटेक्चर काउन्सिल आफ इंडिया से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
8. संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा और उक्त आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई कमियाँ नहीं हैं, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. जिन संस्थाओं की अभातशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्था(ओं) की सम्बद्धता तद कार्यवाही के अधीन होगी।
10. प्रश्नगत संस्था द्वारा प्रवेश में उ.प्र. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 का अनुपालन किया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियाँ पायी जाने/विचलन की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय
(पी.एस.वसेना)
कुलसचिव

2012

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, कुलाधिपति / श्री राज्यपाल महादय, राजभवन, लखनऊ।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. सम्बन्धित संस्था की पत्रावली।
5. गार्ड फाइल।


(पी०एस०सेना)
कुलसचिव
23



पत्र संख्या:-एम0टी0यू0/कुल0 का0/सम्बद्धता/2012/3713

दिनांक:-07.11.2012

सेवा में,

निदेशक,

Lloyd Institute of Management & Technology (172),
Greater Noida.

विषय :- संस्था को शैक्षिक सत्र 2012-13 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या : 2723/सोलह -1-2010-13(13)/2010 दिनांक 19.07.2011 के द्वारा, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) एवं उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2010 एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पत्र संख्या Northern Region . F.No. Northern/1-749926452/2012/EOA दिनांक 10.05.2012 एवं महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर की कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्यासा में निम्न पाठ्यक्रमों उनके समुख अंकित प्रवेश क्षमता के साथ

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 1. बी0फार्म0 | 120 सीट |
| 2. एम0फार्म0 (क्वालिटी एश्योरेंस) | 18 सीट |
| 3. एम0फार्म0 (फार्मास्यूटिक्स) | 18 सीट |

स्वचित पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2012-13 हेतु सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की गई है :-

1. संस्था व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय/महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं/विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
3. संस्था से एक माह के अन्दर, संस्था में कार्यरत शिक्षकों की सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत किया जा सके।
4. संस्था द्वारा महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर को अपनी वेबसाइट पर यह सूचना उपलब्ध करायी जायेगी कि उनके द्वारा छात्रों से क्या फीस ली गयी है, अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
6. संस्था में पायी गयी कमियों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात् 2013-14 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।

7. बी०फार्मा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं नियमतः फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया एवं बी०आर्क० पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं नियमानुसार आर्कोटैक्चर काउन्सिल ऑफ इण्डिया से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
8. संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा और उक्त आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई कमियाँ नहीं है, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. जिन संस्थाओं की अभातिशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्था(ओं) की सम्बद्धता तद कार्यवाही के अधीन होगी।
10. प्रश्नगत संस्था द्वारा प्रवेश में उ.प्र. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 का अनुपालन किया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियाँ पायी जाने/विचलन की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(पी०सक्सेना)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, कुलाधिपति/श्री राज्यपाल महोदय, राजभवन, लखनऊ।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. सम्बन्धित संस्था की पत्रावली।
5. गार्ड फाइल।

(पी०सक्सेना)
कुलसचिव

P. Saxena
Registrar



महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय Mahamaya Technical University

C-22, Sector-62, Noida, G. B. Nagar (U.P.) – 201301

Ph. 0120-2472704/708

Fax: 0120 2472704

पत्र संख्या:-एम0टी0यू0/कुल0 का0/सम्बद्धता/2013/4829

दिनांक:-04.06.2013

सेवा में,

Director,
Lloyd Institute of Management & Technology,
11, Knowledge Park-II,
Greater Noida,
Gautam Buddha Nagar. (College.Code- 172)

विषय :- संस्था को शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या: 1382/सोलह -1-2012-13 (03)/2013TC दिनांक 15.05.2013 के द्वारा, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) एवं उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2010 एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पत्र संख्या F.No. Northern/1-1445308653/2013/EOA, दिनांक 19.03.2013 एवं महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर की कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में निम्न पाठ्यक्रमों उनके सम्मुख अंकित प्रवेश क्षमता के साथ

बी0फार्म0

1- Pharmacy

120 Seats

एम0फार्म0

1- Quality Assurance

18 Seats

2- Pharmaceuticals

18 Seats

स्वचित पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की गई है :-

1. संस्था व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय/महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेंगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं/विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
3. संस्था से एक माह के अन्दर, संस्था में कार्यरत शिक्षकों की सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत किया जा सके।
4. संस्था द्वारा महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर को अपनी वेबसाइट पर यह सूचना उपलब्ध करायी जायेगी कि उनके द्वारा छात्रों से क्या फीस ली गयी है, अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
6. संस्था में पायी गयी कमियों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात् 2014-15 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।

7. बी0फार्मा पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं नियमतः फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया एवं बी0आर्क0 पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं नियमानुसार आर्कीटेक्चर काउन्सिल आफ इंडिया से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
8. संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा और उक्त आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई कमियाँ नहीं हैं, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. जिन संस्थाओं की अभातशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्था(ओं) की सम्बद्धता तद कार्यवाही के अधीन होगी।
10. प्रश्नगत संस्था द्वारा प्रवेश में उ.प्र. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 का अनुपालन किया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियाँ पायी जाने/विचलन की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(पी0सर्वसेना)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, कुलाधिपति/श्री राज्यपाल महोदय, राजभवन, लखनऊ।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. सम्बन्धित संस्था की पत्रावली।
5. गार्ड फाइल।

(पी0सर्वसेना)
कुलसचिव

पी0के0 गंगवार
पी0सी0एस0
कुलसचिव



उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय

आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ- 226021
पत्रांक : उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/स0वि0/2014/5401-7459
दिनांक 24.07.2014

College Code : 172

Director

Llyod Institute of Management & Technology, Gautam Buddh Nagar

विषय- शैक्षिक सत्र 2014 . 15 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा प्राप्त अनुमोदन के आधार पर विश्वविद्यालय/उ0प्र0 शासन की सम्बद्धता समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के द्वारा शासन के पत्र संख्या 1875/सोलह(03)/2014 दिनांक 03.06.2014 एवं पत्र संख्या 2086/सोलह(03)/2014 दिनांक 10.07.2014 को निर्गत आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा0 कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नानुसार प्रवेश क्षमता के साथ

Branch Name

Bachelor of Pharmacy
MBA

1st Shift

100
240

2nd Shift

60

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2014 हेतु दिनांक 01.07.2014 से विश्वविद्यालय के द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1 संस्था द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/उ.प्र.प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन अवस्थापना सुविधाएं, पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैंकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई कमियों/मानकों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धन का होगा।

2 निरीक्षण मण्डल द्वारा अन्य गतिविधियों के साथ-साथ संस्था के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जायेगा।

3. बी.फार्म./एम.फार्म./बी.आर्क./एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया एवं काउंसिल आफ आर्किटेक्चर के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानक एवं संबंधित काउंसिल का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
4. संस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगी तथा शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना समय से उपलब्ध करायेगी, अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं/विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
6. उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 में प्रदत्त अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. संस्था से एक माह के अन्दर संस्था में निदेशक/प्राचार्य एवं कार्यरत शिक्षकों की सूची तथा चयन से संबंधित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेंगी।
8. संस्था के निदेशक का पद रिक्त होने के तीन माह(कार्यदिवस) के अन्दर अवश्य चयनित कर लिये जाएं, जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कराये। (अध्याय: 6.15)
9. संस्था में कार्यरत शिक्षक द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (अध्याय: 6.18)
10. शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (अध्याय: 6.25b)
11. लैब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचनाएं विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित कराये। (अध्याय: 6.13)
12. संस्था की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचनाएं विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित कराये। (अध्याय: 6.16)
13. संस्था द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चप्पा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
14. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
15. संस्था में पायी गयी कमियों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात् 2015-16 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।
16. संस्था का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
17. जिन संस्थाओं की अभातिषिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जाँच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थाओं की सम्बद्धता तदकार्यवाही के अधीन होगी।
18. संस्था द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनु० जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार ही शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिया जाए अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
19. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्था में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से शुल्क वही लिये जाए जो समय-समय पर फीस निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित की गई हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।
20. AMS (Academic Monitoring System) के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या : उ०प्र०प्रा०वि०/कुस०का० /2014/4414-21, दिनांक 11.07.2014 का अनुपालन सुनिश्चित कराने की बाध्यता होगी।
21. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के दिये गये दायित्वों का पालन संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। संस्था का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। यदि कतिपय कारणोंवश ऐसा करना सम्भव न हो तो संस्था द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियों पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय,

(पी०के० गंगवार)

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, महा० कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उ.प्र., लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

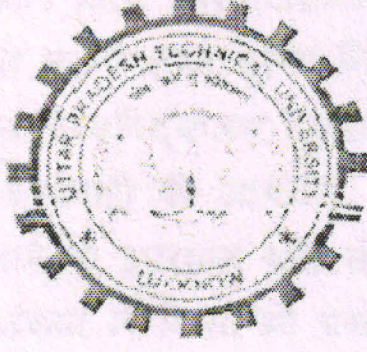
(पी०के० गंगवार)

कुलसचिव

के.के. चौधरी

पी.सी.एस.

कुलसचिव



उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय

आई०ई०टी० परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ-226021

दूरभाष: 0522-2732193

फैक्स: 0522-2732185

पत्रांक: उ.प्र.प्रा.वि./कुस.का./स.वि./2015/1200-4494

College Code - 172

दिनांक 15.05.2015

सेवा में,

DIRECTOR,

LLOYD INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, GAUTAM BUDDH NAGAR

विषय:- शैक्षिक सत्र 2015-16 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के आधार पर विश्वविद्यालय/उ०प्र० शासन की सम्बद्धता समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के क्रम में शासनादेश के संख्या 1587/सीलह-1-2015-13(5)/2015- दिनांक 15.05.2015 को निर्गत आदेशानुसार उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा० कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नानुसार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता के साथ

S.No.	Branch Name	Ist Shift	IInd Shift
1	PHARMACEUTICS	18	0
2	QUALITY ASSURANCE	18	0
3	BACHELOR OF PHARMACY	100	0
4	MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION	0	60
5	MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION	240	0

रखित पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2015-16 हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की सहस्र स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. संस्था द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/उ.प्र.प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं, पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, रैकिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शाये गई कमियाँ/मानकों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
2. निरीक्षण मण्डल द्वारा अन्य गतिविधियों के साथ-साथ संस्था के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जायेगा।
3. बी.फार्म./एम.फार्म./बी.आर्क./एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया एवं काउंसिल आफ आर्किटेक्चर के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानक एवं संबंधित काउंसिल का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित मानक पूर्ण न करने की दशा में एवं अभ्यासिप, पी.सी.आई., सी.ओ.ए. के द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय के द्वारा संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

4. संस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/30प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगी तथा शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना-समय से उपलब्ध करायेगी, अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
6. 30प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 में प्रदत्त अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. संस्था से एक माह के अन्दर संस्था में निदेशक/प्राचार्य एवं कार्यरत शिक्षकों की सूची तथा चयन से संबंधित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेंगी।
8. संस्था के निदेशक का पद रिक्त होने के तीन माह(कार्यदिवस) के अन्दर अवश्य चयनित कर लिये जाएं, जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य करायें। (अध्याय: 6.15)
9. संस्था में कार्यरत शिक्षक द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (अध्याय: 6.18)
10. शैक्षिक एवं शिक्षण स्टाफ के वृत्तन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (अध्याय: 6.25b)
11. लैब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचनाएं विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित करायें। (अध्याय: 6.13)
12. संस्था की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचनाएं विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित करायें। (अध्याय: 6.16)
13. संस्था द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य सूचित की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथाचित कार्यवाही किये जाने पर तत्काल किया जायेगा।
14. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
15. संस्था में पायी गयी कमियां का प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा औचक निरीक्षण कभी भी किया जा सकता है।
16. संस्था का शैक्षिक स्तर के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
17. जिन संस्थाओं की अभातिशेष एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जाच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थाओं की सम्बद्धता तदकार्यवाही के अधीन होगी।
18. संस्था द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनु0 जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 2006/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार ही शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिया जाए अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
19. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्था में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से शुल्क वही लिये जाए जो समय-समय पर फीस निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित की गई हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकीयत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था से सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को Black List करने की कार्यवाही की जायेगी।
20. AMS (Academic Monitoring System) सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या: 30प्र0प्र0वि0/कुस0का0/2014/4414-21, दिनांक 11.07.2014 का अनुपालन सुनिश्चित करने की बाध्यता होगी।
21. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु शिक्षकों एवं शिक्षण कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। संस्था को यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षण कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। कतिपय कारणों से यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्था द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धन का होगा।

भवदीय,
(के. के. चौधरी)
कुलसचिव

पृष्ठानक संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, महा0 कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
- 2- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3- अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- 4- निदेशक, समाज कल्याण, उ.प्र., लखनऊ।
- 5- गार्ड फाइल।

(के. के. चौधरी)
कुलसचिव



College Code 172

सेवा में,
निदेशक/प्राचार्य,

Llyod Institute of Management & Technology, Gautam Buddh Nagar

PLOT NO. 11, KNOWLEDGE PARK - II

विषय: शैक्षिक सत्र 2016-17 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।
महोदय,

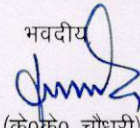
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के आधार पर विश्वविद्यालय/उ०प्र० शासन की सम्बद्धता समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के क्रम में सन्दर्भ संख्या 2354(III)/सोलह-1-2016-13(5)/2015 दिनांक 03.06.2016 में निर्गत शासनादेश के अपेक्षानुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा० कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नानुसार पाठ्यक्रम :-

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	Intake Kept in abeyance	Affiliation Intake Approved
B.PHARMA	BACHELOR OF PHARMACY	Shift I	100	0	100
M.B.A.	MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION	Shift I	240	36	204
M.B.A.	MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION	Shift II	60	9	51
M.PHARMA	PHARMACEUTICS	Shift I	18	0	18
M.PHARMA	QUALITY ASSURANCE	Shift I	18	0	18

उपरोक्तानुसार वर्णित प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- संस्था द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई कमियों/मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा अन्य गतिविधियों के साथ-साथ संस्था के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जायेगा।
- बी.फार्म/एम.फार्म./बी.आर्क./एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया एवं काउंसिल आफ आर्किटेक्चर के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानक एवं संबंधित काउंसिल का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित मानक पूर्ण न करने की दशा में एवं अभातिशप, पी.सी.आई., सी.ओ.ए. के द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय के द्वारा संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
- संस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र० द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क नियमन समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगी। शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना संस्था समय से उपलब्ध करायेगी, अन्यथा सम्बद्धता समाप्त करने अथवा प्रवेश क्षमता कम करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
- विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था 01 अगस्त, 2016 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायगा एवं इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि, कूटचयन/विसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयः संस्थान का होगा।

8. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य प्रेषित काराये। (अध्याय:6.15)
 9. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (अध्याय:6.18)
 10. शैक्षिक एवं शिक्षण स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (अध्याय:6.25बी.)
 11. लैब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी अवश्य उपलब्ध कराये। (अध्याय:6.13)
 12. संस्था की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। (अध्याय:6.16)
 13. संस्था द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चरपा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
 14. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
 15. फार्मसी तथा आर्किटेक्चर के समस्त विधा के समस्त पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था-फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया/आर्किटेक्चर काउंसिल आफ इण्डिया (यथा लागू) का सत्र 2016-17 हेतु मान्यता का आदेश प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। अपेक्षित मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा संस्थान सत्र 2016-17 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में प्रवेश नहीं दे सकेगा। इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
 16. संस्था का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
 17. जिन संस्थाओं की अभातिषि एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थाओं की सम्बद्धता तदकार्यवाही के अधीन होगी।
 18. संस्था द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनु0 जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार ही शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिया जाए अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
 19. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनदेशों/आदेशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा यदि संस्था द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
 20. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्था में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से शुल्क वही लिये जाए जो समय-समय पर फीस निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित की गई हों। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को Black List करने की कार्यवाही की जायेगी।
 21. AMS (Academic Monitoring system) संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/2014/ 4414-21 दिनांक 11.07.2014 का अनुपालन सुनिश्चित कराने की बाध्यता होगी।
 22. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्य हेतु शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। संस्था का यह दायित्व होगा कि वह विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त दायित्वों के अनुसार शिक्षक अथवा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्था द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अवश्य होगा।
 23. नियामक संस्थाओं द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के सापेक्ष अत्याधिक न्यून प्रवेश के सन्दर्भ में जिन संस्थाओं का गत वर्ष पंजीकरण 60 प्रतिशत से न्यून था उनकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बद्धन सत्र 2016-17 हेतु स्थगित रखा गया है। आगामी सत्र 2017-18 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इन्हे पूर्णजीवित करने या संशोधित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा की जायेगी।
- उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय

 (के.के. चौधरी)
 कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।



सेवा में,
निदेशक / प्राचार्य,

Lloyd Institute of Management & Technology, Gautam Buddh Nagar

PLOT NO. 11, KNOWLEDGE PARK - II

विषय: शैक्षिक सत्र 2017-18 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।
महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा सत्र 2017-18 हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी मान्यता के आधार पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति/उ0प्र0 शासन की सम्बद्धता समीक्षा समिति द्वारा विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 1667/सौलह-1-2016-13(5)/2015 दिनांक 12.05.2017 की अपेक्षानुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा0 कार्यपरिषद से अनुमोदन, की प्रत्याशा में, संस्थान को निम्नानुसार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता के साथ

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	COA/PCI Intake	Affiliation Intake Approved
B.Pharm	Bachelor of Pharmacy	Shift I	100	100	100
M.Pharma	Pharmaceutics	Shift I	18	15	15
M.Pharma	Quality Assurance	Shift I	18	15	15
MBA	MBA	Shift I	240		204
MBA	MBA	Shift II	60		51

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2017-18 हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

1. संस्था द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैंकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई कमियों/मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
 2. निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
 3. बी.फार्म/एम.फार्म./बी.आर्क./एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया एवं काउंसिल आफ आर्किटेक्चर के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संबंधित काउंसिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण न करने की दशा में एवं अभातशिप एवं पी.सी.आई./सी.ओ.ए. (यथा लागू) के द्वारा अनुमन्य प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय के द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
 4. संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0 द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करायेंगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को वसूल करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
 5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बन्धित शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में लाने अथवा संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
 6. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्रावधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

कम करने अथवा समाप्त करने की

Signature valid

सचयनाओ विवरण तथा सम्बन्ध
Digitally Signed by: RAKESH VARMA
सचयनाओ विवरण तथा सम्बन्ध
State: India, Problem: 1
Postal Code: 226024Country: IN
Serial Number:
d1ddcae64597d9ca12544c0797b2a7b31781f361336a15f0a4792d2e708ccb
Reason: I am the author of this document.

7. संस्थान 01 अगस्त, 2017 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायगा एवं इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि, कुट रचना/विसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयः संस्थान का होगा।
8. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने के दिनांक तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्ति कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य काराये। (अध्याय:6.15)
9. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (अध्याय:6.18)
10. शैक्षिक एवं शिक्षणैतर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (अध्याय:6.25बी.)
11. लैब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचनाएं विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित कराये। (अध्याय:6.13)
12. संस्था की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित करये। (अध्याय:6.16)
13. संस्था द्वारा छात्रों के लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चस्पा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
14. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
15. फार्मैसी तथा आर्किटेक्चर की विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विधाओं के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित व्यवसाय नियामक संगठन फार्मैसी काउंसिल आफ इण्डिया/आर्किटेक्चर काउंसिल आफ इण्डिया (यथा लागू) से सत्र 2017-18 हेतु मान्यता का अनुमति पत्र, प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। फार्मैसी तथा वास्तुकला के समस्त पाठ्यक्रमों में संस्थान सत्र 2017-18 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में न तो काउंसिलिंग और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट या प्रबन्धकिया सीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं उत्तरदायित्व होगा।
16. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
17. जिन संस्थानों की अभातशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता तदकार्यवाही के अधीन होगी।
18. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनु० जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धि राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं के अनुपालन न करने की स्थिति में, सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
19. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
20. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को Black List करने की कार्यवाही की जायेगी।
21. AMS (Academic Monitoring system) के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या उ०प्र०प्रा०वि०/कुस० का०/2014/4414-21 दिनांक 11.07.2014 के अनुपालन की अनिवार्यता होगी।
22. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणैतर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणैतर कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। संस्थान आवश्यक होगा।
23. विगत शैक्षिक सत्र में पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की न्यून संख्या, मानकानुसार अपेक्षित संख्या से न्यून संख्या में उपलब्ध, शिक्षकों एवं पंजीकृत छात्रों के न्यूनतर परीक्षा परिणाम के कारण कतिपय संस्थानों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बद्धन सत्र

Signature valid

Digitally Signed by: RAKESH VARMA
 Reason: I am the author of this document
 01d0cae6453709ca126ac7962a7b7917801336a15f0a4792d2e2708ccb

2017-18 हेतु स्थगित रखा गया है। आगामी सत्र 2018-19 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इन्हे पूर्णजीवित करने या संशोधित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा की जायेगी।

24 पाठ्यक्रम विशेष के सम्बद्धता की लम्बित क्षमता की गणना सम्बद्धता विवरण की तालिका के स्तंभ 4 या 5 (यथा लागू) में स्तंभ 6 के मूल्य को घटा कर प्राप्त की जा सकती है।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

(राकेश वर्मा)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

Signature valid

Digitally Signed by: RAKESH VARMA
Organisation: Personal
State: Uttar Pradesh
Postal Code: 226024Country: IN
Serial Number:
d1ddcae64597d9ca1264ac1079b2a7b93178103136a15f0a4792d2e2708ccb
Reason: I am the author of this document.



पत्रांक:-ए0के0टी0यू0/कुस0का0/स0वि0/2018/10139/(172)

दिनांक: 15.05.2018

College Code 172

सेवा में,
निदेशक/प्राचार्य,Lloyd Institute of Management & Technology, Gautam Buddh Nagar
PLOT NO. 11, KNOWLEDGE PARK - IIविषय: शैक्षिक सत्र 2018-19 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।
महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा सत्र 2018-19 हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी मान्यता के आधार पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति/उ0प्र0 शासन की सम्बद्धता समीक्षा समिति द्वारा विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 2012/सोलह-1-2018-13(1)/2018 दिनांक 15.05.2018 की अपेक्षानुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा0 कार्यपरिषद से अनुमोदन, की प्रत्याशा में, संस्थान को निम्नानुसार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता के साथ,

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Approved Intake	COA/PCI Intake	Affiliation Intake Approved
B.Pharm	Bachelor of Pharmacy	Shift I	100	100	100	100
M.Pharma	PHARMACEUTICAL QUALITY ASSURANCE	Shift I	15	18	15	15
M.Pharma	Pharmaceutics	Shift I	15	18	15	15
MBA	MBA	Shift I	240	240	0	240
MBA	MBA	Shift II	60	60	0	15

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।
उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैंकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई कमियों/मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
- बी.फार्म/एम.फार्म./बी.आर्क./एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया एवं काउंसिल आफ आर्किटेक्चर के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संबंधित काउंसिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण न करने की दशा में एवं अभातिशप एवं पी.सी.आई./सी.ओ.ए. (यथा लागू) के द्वारा अनुमन्य प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय के द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
- संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0 द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
- विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्थान 01 अगस्त, 2018 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा एवं इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित

संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि, कुटर्चना/विसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयः संस्थान का होगा।

8. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने के दिनांक तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य काराये। (विनियम: 6.15)

9. सत्र 2018-19 के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय को कार्यरत शिक्षकों के संबंध में दी गयी सूची में उल्लिखित किसी भी शिक्षक को सत्र के दौरान बिना विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के, सेवा से निकाला नहीं जा सकेगा।

10. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (विनियम: 6.18)

11. शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियम: 6.25बी.)

12. लैब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचनाएं विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित कराये। (विनियम: 6.13)

13. संस्था की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित कराये। (विनियम: 6.16)

14. संस्था द्वारा छात्रों के लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चस्पा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायगा।

15. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायगा।

16. फार्मसी तथा आर्किटेक्चर की विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विधाओं के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित व्यवसाय नियामक संगठन फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया/आर्किटेक्चर काउंसिल आफ इण्डिया (यथा लागू) से सत्र 2018-19 हेतु मान्यता का अनुमति पत्र, प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। सम्बन्धित नियामक संस्थान से मान्यता अप्राप्त की दशा में संस्थान फार्मसी तथा वास्तुकला के पाठ्यक्रमों में सत्र 2018-19 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में न तो काउंसिलिंग और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट या प्रबन्धकिय सीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं उत्तरदायित्व होगा।

17. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

18. जिन संस्थानों की अभातिषि एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता तदकार्यवाही के अधीन होगी।

19. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनु0 जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धि राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं के अनुपालन न करने की स्थिति में, सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

20. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

21. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को Black List करने की कार्यवाही की जायेगी।

22. AMS (Academic Monitoring system) के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0 का0/2014/4414-21 दिनांक 11.07.2014 के अनुपालन की अनिवार्यता होगी।

23. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्य हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

24. विगत शैक्षिक सत्र में पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की न्यून संख्या, मानकानुसार अपेक्षित संख्या से न्यून संख्या में उपलब्ध अर्ह शिक्षकों एवं पंजीकृत छात्रों के न्यूनतर परीक्षा परिणाम के कारण कतिपय संस्थानों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बद्धन सत्र 2018-19 हेतु स्थगित रखा गया है। आगामी सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इन्हे पूर्णजीवित करने या संशोधित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा की जायेगी।

25. पाठ्यक्रम विशेष के सम्बद्धता की लम्बित क्षमता की गणना सम्बद्धता विवरण की तालिका के स्तंभ 5 या 6 (यथा लागू) में स्तंभ 7 के मूल्य को घटा कर प्राप्त की जा सकती है।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

(ओम प्रकाश राय)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।



College Code 172

सेवा में,
निदेशक/प्राचार्य,

Lloyd Institute of Management & Technology, Gautam Buddha Nagar

PLOT NO. 11, KNOWLEDGE PARK - II, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, PIN CODE - 201306,
UTTAR PRADESH, Gautam Buddha Nagar

विषय: शैक्षिक सत्र 2019-20 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।
महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा सत्र 2019-20 हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी मान्यता पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति/उ0प्र0 शासन की सम्बद्धता समीक्षा समिति द्वारा विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 1538/सोलह-1-2019-13(1)/2018 दिनांक 15.05.2019 के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा0 कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नांकित विवरण के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Sanctioned Intake	COA/PCI Sanctioned Intake	Affiliation Intake Approved
B.Pharm	Bachelor of Pharmacy	Shift I	100	100	100	100
M.Pharma	PHARMACEUTICAL QUALITY ASSURANCE	Shift I	15	18	15	15
M.Pharma	Pharmaceutics	Shift I	15	18	15	15
MBA	MBA	Shift II	60	60		60
MBA	MBA	Shift I	240	240		240

उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फ़ैकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई कमियों/मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
- बी.फार्म/एम.फार्म./बी.आर्क./एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया/काउंसिल आफ आर्किटेक्चर (यथा लागू) के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संबंधित काउंसिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण न करने की दशा में एवं अभातिशिप एवं पी.सी.आई./सी.ओ.ए. (यथा लागू) के द्वारा अनुमन्य प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
- संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0 द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
- विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन

हस्ताक्षर

संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

7. संस्थान 10 जून, 2019 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायगा एवं इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि, कूटरचना/विसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयः संस्थान का होगा।
8. कतिपय संस्थानों में प्रवेश क्षमता में अभिवृद्धि/नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि ऐसे संस्थानों का विश्वविद्यालय द्वारा मानकानुसार, अवस्थापना एवं मानव संसाधन इत्यादि सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने से पूर्व आवश्यकतानुसार कराया जा सकता है तथा निरीक्षण दल की अनुशंसा के क्रम में ही सत्र 2019-20 में प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न करायी जा सकेगी।
9. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कराये। (विनियम: 6.15)
10. सत्र 2019-20 के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थान विश्वविद्यालय को कार्यरत शिक्षकों के संबंध में दी गयी सूची में उल्लिखित किसी भी शिक्षक को सत्र के दौरान बिना विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के सेवा से निकाला नहीं जा सकेगा।
11. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (विनियम: 6.18)
12. शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियम: 6.25बी.)
13. लैब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.13)
14. संस्थान की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.16)
15. संस्थान द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चरपा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
16. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
17. फार्मैसी तथा आर्किटेक्चर की विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विधाओं के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित व्यवसाय नियामक संगठन फार्मैसी काउंसिल आफ इण्डिया/आर्किटेक्चर काउंसिल आफ इण्डिया (यथा लागू) से सत्र 2019-20 हेतु मान्यता का अनुमति पत्र, प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। संस्थान मान्यता प्राप्त न होने की दशा में फार्मैसी तथा वास्तुकला के समस्त पाठ्यक्रमों में संस्थान सत्र 2019-20 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में न तो काउंसिलिंग और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट या प्रबन्धकीय सीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा।
18. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
19. जिन संस्थानों की अभातिशप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता, तत्कार्यवाही के अधीन होगी।
20. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनु० जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
21. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायगा। यदि संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
22. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही की जायेगी।
23. AMS (Academic Monitoring System) के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या उ०प्र०प्रा०वि०/कुस० का०/2014/4414-21 दिनांक 11.07.2014 के अनुपालन की अनिवार्यता होगी।
24. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही

कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

25. विगत शैक्षिक सत्र में पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की न्यून संख्या, मानकानुसार अपेक्षित संख्या में न्यून संख्या में उपलब्ध अर्ह शिक्षकों एवं पंजीकृत छात्रों के न्यूनतर परीक्षा परिणाम के कारण कतिपय संस्थानों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बद्धन सत्र 2019-20 हेतु स्थगित रखा गया है। आगामी सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इन्हें पुनर्जीवित करने या संशोधित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा की जायेगी।

26. पाठ्यक्रम विशेष में सम्बद्धता की लम्बित क्षमता की गणना सम्बद्धता विवरण की तालिका के स्तम्भ 5 या 6 (यथा लागू) में स्तम्भ 7 के मूल्य को घटा कर प्राप्त की जा सकती है।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।


(नन्द लाल सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्यसचिव, मा0 कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।



पत्रांक:-ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / स0वि0 / 2020 / 6090-6792

दिनांक: 24 अगस्त, 2020

College Code 172

सेवा में,
निदेशक/प्राचार्य,

LLOYD INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, GAUTAM BUDDH NAGAR

PLOT NO. 11, KNOWLEDGE PARK - II, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, PIN CODE – 201306,
UTTAR PRADESH, Gautam Buddha Nagar

विषय: शैक्षिक सत्र 2020-21 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।
महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली (यथा लागू) के द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आपके संस्थान को प्रदान की गयी मान्यता पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति/उ0प्र0 शासन की सम्बद्धता समीक्षा समिति द्वारा विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों एवं इन संस्तुतियों के क्रम में शासन के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा0 कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नांकित विवरण के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	AICTE Sanctioned Intake	COA/PCI Sanctioned Intake	Affiliation Intake Approved
Bachelor of Pharmacy	Bachelor of Pharmacy	Shift I	100	100	100	100
Master of Pharmacy	PHARMACEUTICAL QUALITY ASSURANCE	Shift I	15	18	15	15
Master of Pharmacy	Pharmaceutics	Shift I	15	18	15	15
Masters of Business Administration	MBA	Shift I	240	300	0	300

उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- संस्थान द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैंकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई कमियों/मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ-साथ संस्थान के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
- बी.फार्म/एम.फार्म./बी.आर्क./एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया/काउंसिल आफ आर्किटेक्चर (यथा लागू) के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति एवं संबंधित काउंसिल से सत्र विशेष हेतु अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण न करने की दशा में एवं अभातिशिप एवं पी.सी.आई./सी.ओ.ए. (यथा लागू) के द्वारा अनुमन्य प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
- संस्थान प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0 द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। साथ ही, संस्थान शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना उन्हें समय से उपलब्ध करायेगा। संस्थान द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाओं में विफल रहने पर सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

7. संस्थान 10 सितम्बर, 2020 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायगा एवं इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि, कूट रचना/विसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयः संस्थान का होगा।
8. कतिपय संस्थानों में प्रवेश क्षमता में अभिवृद्धि/नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि ऐसे संस्थानों का विश्वविद्यालय द्वारा मानकानुसार, अवस्थापना एवं मानव संसाधन इत्यादि सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने से पूर्व आवश्यकतानुसार कराया जा सकता है तथा निरीक्षण दल की अनुशंसा के क्रम में ही सत्र 2020-21 में प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न करायी जा सकेगी।
9. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्त कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य कराये। (विनियम: 6.15)
10. सत्र 2020-21 के प्रारम्भ होने के पूर्व संस्थान विश्वविद्यालय को कार्यरत शिक्षकों के संबंध में दी गयी सूची में उल्लिखित किसी भी शिक्षक को सत्र के दौरान बिना विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के सेवा से निकाला नहीं जा सकेगा।
11. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (विनियम: 6.18)
12. शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (विनियम: 6.25बी.)
13. लैब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.13)
14. संस्थान की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना से भी विश्वविद्यालय को अवगत कराये। (विनियम: 6.16)
15. संस्थान द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चस्पा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
16. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
17. फार्मसी तथा आर्किटेक्चर की विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बद्ध संस्थाओं को इन विधाओं के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित व्यवसाय नियामक संगठन फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया/आर्किटेक्चर काउंसिल आफ इण्डिया (यथा लागू) से सत्र 2020-21 हेतु मान्यता का अनुमति पत्र, प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। संस्थान मान्यता प्राप्त न होने की दशा में फार्मसी तथा वास्तुकला के समस्त पाठ्यक्रमों में संस्थान सत्र 2020-21 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में न तो काउंसिलिंग और न ही अपने स्तर से सीधे रिक्त सीट या प्रबन्धकीय सीट पर प्रवेश दे सकेगा। इन परिस्थितियों के लिए संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा।
18. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
19. जिन संस्थानों की अभातिशप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता, तदकार्यवाही के अधीन होगी।
20. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनु0 जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने की स्थिति में, सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
21. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
22. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही की जायेगी।
23. AMS (Academic Monitoring System) के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0 का0/2014/4414-21 दिनांक 11.07.2014 के अनुपालन की अनिवार्यता होगी।
24. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन

कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

25. विगत शैक्षिक सत्र में पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की न्यून संख्या, मानकानुसार अपेक्षित संख्या में न्यून संख्या में उपलब्ध अर्ह शिक्षकों एवं पंजीकृत छात्रों के न्यूनतर परीक्षा परिणाम के कारण कतिपय संस्थानों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बद्धन सत्र 2020-21 हेतु स्थगित रखा गया है। आगामी सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इन्हें पूर्णजीवित करने या संशोधित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा की जायेगी।
26. पाठ्यक्रम विशेष में सम्बद्धता की लम्बित क्षमता की गणना सम्बद्धता विवरण की तालिक के स्तंभ 5 या 6 (यथा लागू) को घटा कर प्राप्त की जा सकती है।
27. शासन/विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को शपथ पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 2020 प्रस्तुत किया जाएगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।


(नन्द लाल सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।